CNR No.-UPVR010051822026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।

उपस्थितः संजीव शुक्ला (एच.जे.एस.)

<u>प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्याः-1712 सन् 2026</u>

अवधेश बिन्द पुत्र भानू प्रताप बिन्द
निवासी-नन्दापुर, थाना-ज्ञानपुर, जिला भदोही,

..... प्रार्थी/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

मु0 अ 0 सं0- 139/2026
धारा-152 रेलवे अधिनियम।
थाना-कैंट(जी.आर.पी.),
जिला- वाराणसी।

<u>02-06-2026</u>

1- यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **अवधेश बिन्द** की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध है।

3- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना-पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र भी दाखिल किया गया है।

4- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी आनन्द कुमार यादव के द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनाँक 20/05/26 को वादी उ.नि. आनन्द कुमार मय हमराह हे. का. ओमकार नाथ व आरपीएफ के है.का. शिवानन्द दीक्षित के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नं. 2 पर सुरक्षा के दृष्टिगत गश्त कर रहे थे कि समय करीब 18.46 बजे ट्रेन संख्या 20962 उदना एक्स. पर ट्रेन प्रस्थान के समय एक व्यक्ति द्वारा बाहर से पत्थर मारा जिससे कोच नं. S-1 के सीट नं. 31 के पास का सीसा टूट गया जिससे उक्त सीट पर बैठे यात्रियों को जान का खतरा उत्पन्न हुआ। घटना के दृष्टिगत तत्काल शोर गुल सुनकर हम पुलिस वालों ने ट्रेन पर पत्थर मारने पाले व्यक्ति को मौके पर ही एक बारगी दबिश देकर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम अवधेश बिन्द S/O भानुप्रताप बिन्द नि. नंदापुर P/S ज्ञानपुर जिला भदोही उम्र करीब 30 वर्ष बताया । गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार किया। अभियुक्त को हिरासत में लेकर थाना हाजा लाया गया। जिसके आधार पर थाना कैंट(जी.आर.पी.), वाराणसी में अंतर्गत धारा-152 रेलवे अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

5- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मुकदमे में साजिशन झूठा फसाया गया है। सत्यता यह है अभियुक्त अपने भाई चिरजू व भआभई चन्द्रावती को ज्ञानपुर स्टेशन से दिनांक 20.05.2026 को शाम को 18.40 बजे उधना जंक्शन स्टेशन के लिए बैठाने आया था और अभियुक्त की पुलिस

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.06.27 08:15:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

से प्लेटफार्म टिकट दिखाने को लेकर कहा सुनी हो गयी जिसके कारण पुलिसकर्मी अभियुक्त को गाली गलौज करने लगे और मार पीटकर उक्त मुकदमे में झूठा फसा दिये। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत मुचलका देने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

6- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा ट्रेन संख्या-20962 पर समय करीब 18.46 बजे बाहर से पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया गया जिससे उक्त सीट पर बैठे यात्रियों को जान का खतरा उत्पन्न हुआ। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

7- मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा थाने से प्राप्त आख्या व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

8- मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **अवधेश बिन्द** की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/- (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उसको जमानत पर रिहा किया जाता है-

1- प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

2- प्रार्थी/अभियुक्त आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

3- प्रार्थी/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।

4- प्रार्थी/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।

5- प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जाएगा।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक: 02-06-2026

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।
J.O. Code-UP1900